भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *141
दिनांक 30 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

साइबर अपराधों में इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल कनेक्शन

*141. श्री बंटी विवेक साहूः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जाली दस्तावेजों के माध्यम से प्राप्त अथवा साइबर अपराधों में प्रयुक्त मोबाइल कनेक्शनों की संख्या का ब्यौरा क्या है और किन-किन स्थानों पर ऐसे अधिकतम अपराध हो रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार ने सिम कार्ड जारी करने के लिए केवाईसी प्रक्रिया को सुदृढ़ किया है अथवा इसे सुदृढ़ बनाने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ख) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"साइबर अपराधों में इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल कनेक्शन" के संबंध में दिनांक 30.07.2025 के लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं *141 के भाग (क) से (ख) के संदर्भ में विवरण।

(क) दूरसंचार विभाग साइबर धोखाधड़ी के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रयासरत है। दूरसंचार विभाग ने गृह मंत्रालय (एमएचए) के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर रिपोर्ट किए गए साइबर धोखाधड़ी के मामलों के आधार पर 3.57 लाख मोबाइल नंबर काट दिए हैं जिनमें से सबसे अधिक मोबाइल कनेक्शन राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल से हैं।

इसके अलावा दूरसंचार विभाग ने एक ही व्यक्ति द्वारा अलग-अलग नामों से लिए गए संदिग्ध मोबाइल कनेक्शनों की पहचान करने के लिए एक स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और बिग डेटा एनालिटिक टूल अस्त्र विकसित किया है। 82 लाख से अधिक ऐसे कनेक्शन पुन: सत्यापन प्रक्रिया में विफल होने के बाद काट दिए गए हैं।

(ख) दूरसंचार विभाग ने उपभोक्ताओं को मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए नो योर कस्टमर (केवाईसी) रोबस्ट फ्रेमवर्क तैयार किया है। दूरसंचार विभाग ने दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनके अनुसार दूरसंचार लाइसेंसधारियों को अपने पॉइंट ऑफ़ सेल (पीओएस) को पंजीकृत करना अनिवार्य है जो ग्राहकों का नामांकन करते हैं और लाइसेंसधारियों की ओर से सिम जारी करते हैं, जिसके लिए बायोमेट्रिक सत्यापन, पीओएस के व्यवसाय के स्थान और स्थानीय निवास के पते का भौतिक सत्यापन किया जाता है। दिशा-निर्देशों में सिम कार्ड के ऑनलाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का रख-रखाव करने, करार समाप्त करने सहित उल्लंघन के लिए दंडात्मक कार्रवाई और सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) में पीओएस को ब्लैक-लिस्ट करने का प्रावधान भी है।

इसके अलावा दूरसंचार विभाग ने मौजूदा केवाईसी अनुदेशों में भी संशोधन किया है और व्यावसायिक कनेक्शन फ्रेमवर्क आरंभ किया है जिसमे एक्टिवेशन से पहले प्रत्येक एंड-यूसर का केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा सिम स्वैप/रिप्लेसमेंट के लिए एक रोबस्ट केवाईसी प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

*****